प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज- दिनांक- अगस्त 30, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 134 वाहनों का चालान किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***पैदल गश्त अभियान*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 62 व्यक्तियों व 110 जी जा0फौ0 मे 26 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

आर्म्स् अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अभियुक्त सलीम पुत्र सोबारती सा0 वार्ड नं0 7 कस्बा घुघली थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-186/21, धारा-4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र विसम्भर साकिन हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र पुत्र देवी 2.आशुतोष उर्फ मतरेज पुत्र नरेन्द्र नि0गण कोहड़वल थाना निचलौल जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/21 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेऊरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त विनोद पुत्र लालचन्द प्रसाद नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेऊरवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/21,धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कापीराईट एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

***थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्त संजय गुप्ता पुत्र प्रद्युम्न नि0 वार्ड नं0 1 थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से डाबर गुलाबरी गुलाब जल 980 शीशी, 180 अदद पारदर्शी शीशी, 170 पैकेट टाटा टी गोल्ड चायपत्ती (प्रत्येक पैकेट मे 100 ग्राम), 290 पैकेट टाटा टी गोल्ड चायपत्ती (प्रत्येक पैकेट मे 250 ग्राम) एवं 170 पैकेट प्रीमीयम चायपत्ती (प्रत्येक पैकेट मे 250 ग्राम) बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/21,धारा 63/65 कापीराईट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया

जनपद में 29/30-08-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-12 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।